M.P Trade & Investment Facilitation Corporation Ltd.
0 1 FEB
01(incentives)
Inward No. 8539

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 29-01.2016

m(J)

PC 2.2.16

JE 3/2/16

क्र. एफ 10-10/2015/अ-ग्यारह: मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमि., रीवा को वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक A-3-51-07-1-V (XVI), दिनांक 16.05.2008 के अंतर्गत इकाई के उत्पादों को इलेक्टॉनिक्स गुडस का उत्पादन मानते हुए वाणिज्यिक कर की छूट की अवधि में 2 वर्षों की अतिरिक्त छूट स्वीकृत करने संबंधी मांग पर निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत प्रकरण पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि-

"इकाई के प्रकरण में पूर्व में राज्य स्तरीय समिति की 166वी बैठक दिनांक 22.07.2009 में भी विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि इकाई द्वारा उत्पादित उत्पाद इलेक्ट्रानिक गुड्स की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए इकाई को अधिूसचना क्रमांक (16) दिनांक 16.05.2008, जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक (108) दिनांक 06.10.1994 में संशोधन किया गया है, का लाभ प्रदाय नहीं किया जा सकता। समिति द्वारा इकाई का आवेदन अमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

इस बिन्दु पर समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त पाया गया कि इकाई द्वारा आप्टिकल फायबर केबल्स तथा जेली फिल्ड केबल्स एवं आटो मोबाईल वायर्स एवं केबल्स का निर्माण किया जाता है। इसके लिए इकाई को अधिसूचना क्रमांक (108) दिनांक 06.10.1994 के अंतर्गत अवधि 27.12.1999 से 26.12.2008 तक की कालावधि हेतु कर से छूट की सुविधा प्रदाय की गयी है। इकाई द्वारा सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 26.04.1993 जो भिलाई वायर्स लिमिटेड, इण्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई को जारी किया गया है, में आप्टिकल फायबर केबल्स को इलेक्ट्रानिक आयटम माने जाने की स्थिति स्पष्ट की गई है, के आधार पर इलेक्ट्रानिक गुड्स का उत्पाद मानते हुए दिनांक 16.05.2008 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत 2 वर्षो की अतिरिक्त छूट सुविधा चाही गई है। परन्तु वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक 16-6-89-ग्यारह-बी, दिनांक 17.07.1989 में आप्टिकल फायबर केबल्स स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रानिक गुड्स की श्रेणी में वर्णित नहीं है। इसी अधिसूचना के एनेक्सयर-दो में टेली-कम्यूनिकेशन एण्ड इक्यूपमेंट वर्णित है, जिसमें लाईन कम्यूनिकेशन इक्यूपमेंट पार्टस एवं स्पेयर के सरल क्रमांक 30 एवं 31 में फायबर आप्टिकल केबल्स एवं आप्टिकल फायबर वर्णित है। इस आधार पर इकाई के प्रोडक्ट्स टेलीकम्यूनिकेशन गुड्स की श्रेणी में आते है, न कि इलेक्ट्रानिक गुड्स की।

विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इकाई द्वारा निर्मित उत्पाद इलेक्ट्रानिक गुड्स की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए इकाई को अधिसूचना क्रमांक (16) दिनांक 16.05.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक (108) दिनांक 06.10.1994 में संशोधन किया गया है, का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता तथा इस आधार पर 2 वर्षों की अतिरिक्त छूट प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः इकाई का आवेदन अमान्य किया जावे।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 10-10/2015/अ-ग्यारह **भोपाल, दिनांक 29-01.2016**

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमि., उद्योग विहार, रीवा।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग